संख्या- 1/2017/मु0स0 31/43-2-2017

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश् शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2017

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपीलों का त्वरित निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण के जनसूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह सूचना मांगने वाले व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण सूचना प्रदान करें। जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध न कराने अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से आवेदनकर्ता के संतुष्ट न होने की दशा में अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के तहत आवेदनकर्ता द्वारा लोक प्राधिकरण द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर की जाती है।

2 प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के कर्तब्यों व दायित्वों के संबंध में प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 1077/43-2-2009, दिनांक17 जून, 2009 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन तथा समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी उ0प्र0 को प्रेषित किया गया था जिसके द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह अपीलों का निस्तारण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3 शासन में समय समय पर इस आशय के पत्र अपीलकर्ताओं द्वारा प्रेषित किये जाते है, जिनमें प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा समय से अपीलों का निस्तारण न करने तथा उनके द्वारा अपीलकर्ताओं को सूचना दिलाने का कोई सार्थक प्रयास न करने का उल्लेख होता है। व्यवहारिक रूप में आयोग द्वारा भी यह देखा गया है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। अधिकांश प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता है अथवा सूचना देने के संबंध में अस्पष्ट व भ्रामक निर्णय दे दिया जाता है।

4 प्रथम अपील का उद्देश्य यह भी है कि अपीलकर्ता को वांछित सूचना प्राप्त हो जाए ताकि आयोग में दायर की जा रही द्वितीय अपीलों की संख्या में कमी आये। अनेकों मामलों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित नही किया जाता है कि आवेदक को सूचना प्राप्त हो जाये। प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपने कर्तब्यों व दायित्वों का सही प्रकार से निर्वहन न किये जाने के कारण आवेदक असंतुष्ट रहता है, जिससे वह द्वितीय अपील योजित करने हेतु बाध्य होता है। उ0प्र0 सूचना आयोग के स्तर पर द्वितीय अपीलों की संख्या की वद्धि एक मुख्य कारण यह भी है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपील के निस्तारण आदेश में निष्कर्ष पर पहुचने के कारणों को इंगित नहीं किया जाता है जिससे द्वितीय अपील के स्तर पर उत्तर दायित्व निर्धारण में कठिनाई होती है। यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपने आदेशों में कारणों का उल्लेख भी किया जाए तो इससे द्वितीय अपील के निस्तारण में सुगमता होगी तथा समय की बचत भी हो सकेगी।

5 अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने समक्ष दायर प्रथम अपीलों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाय। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सरसरी तौर पर अपीलों का निस्तारण न करें बल्कि यह प्रयास भी कि करें कि आवेदक को वांछित सूचना प्राप्त हो जाय और यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तुत अपीलों के निस्तारण संबंधी आदेशों में निष्कर्ष पर पहुचने के कारणों का उल्लेख अवश्य किया जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1 - सचिव, राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2 - संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 नन्द लाल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।